उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 13 | 1-15 जुलाई 2025 | ₹ 20/-

हजारों हिंदू युवतियों के धर्मांतरण के आरोपी मौलाना गिरफ्तार

- कश्मीरी नेताओं द्वारा दंगाइयों को महिमामंडित करने का प्रयास
- रूस द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता
- यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा टली
- ब्रिटेन में फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

हजारों हिंदू युवतियों के धर्मांतरण के आरोपी मौलाना गिरफ्तार 04
संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद 08
कश्मीरी नेताओं द्वारा दंगाइयों को महिमामंडित करने का प्रयास 12
फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक 15
महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक पर मचा बवाल 19

विश्व

रूस द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता 21
ब्रिटेन में फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध 23
कजाकिस्तान में हिजाब पर पाबंदी 24
पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन 24
बलूचिस्तान में नौ पंजाबी यात्रियों की हत्या 26

पश्चिम एशिया

यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा टली 28
तुर्की में पैगंबर-ए-इस्लाम का कार्टून प्रकाशित होने पर हंगामा 30
तुर्की में कुर्द विद्रोहियों द्वारा सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने की घोषणा 31
सऊदी अरब की जनसंख्या में बढ़ोतरी 32
चीन द्वारा ईरान को वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति 33

सारांश

देश में धर्मांतरण का अभियान जोरों से चल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण से जुड़े एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन, जलालुद्दीन का बेटा महबूब और नसरीन का पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन शामिल है। कहा जाता है कि यह गिरोह प्रलोभन और धमकी देकर युवतियों का इस्लाम में धर्मांतरण कराता था। इस गिरोह द्वारा धर्मांतरण का एक संगठित कारोबार चलाया जा रहा था। इस्लाम अपनाने वाली महिलाओं को उनकी जाति के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती थी। यह गिरोह अब तक डेढ़ हजार से अधिक महिलाओं का इस्लाम में धर्मांतरण करा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि देश की एकता और सामाजिक सद्भावना को खंडित करने के लिए इन्हें मुस्लिम देशों से भारी आर्थिक सहायता मिल रही थी। जांच में पता चला है कि जलालुद्दीन के गिरोह को अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस गिरोह के संपर्क में थे।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरएसएस के प्रमुख चिंतक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि "एक बार पिंगले जी ने कहा था कि 75 साल के होने के बाद अगर आपको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि अब आपको रूक जाना चाहिए, आपकी उम्र हो चुकी है, हट जाइये और दूसरों को आगे आने दीजिए।" बड़ी अजीब बात है कि विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भागवत के इस बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया। मीडिया में यह दुष्प्रचार किया गया कि मोहन भागवत ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया है, क्योंकि वे इसी साल के सितंबर महीने में 75 साल के हो जाएंगे।

रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अभी तक किसी भी अन्य देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खुला रखा है और वे तालिबान सरकार के निरंतर संपर्क में हैं। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि चीन समेत कई अन्य देश जल्द ही तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता दे सकते हैं। भारत भी अफगानिस्तान के मामले पर नजर बनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि रूस और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंध बेहद खराब रहे हैं। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। वह वहां पर एक दशक तक अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ता रहा। इस संघर्ष में 15 हजार से अधिक सोवियत सैनिक मारे गए थे। अफगान मुजाहिदीन की आक्रामकता के कारण 1989 में रूस को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर होना पड़ा। पिछले कुछ सालों से रूस और अफगानिस्तान के आपसी संबंधों में मजबूती आई है।

विदेशी सूत्रों ने दावा किया है कि हाल ही में चीन ने ईरान को वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है ताकि ईरान संभावित विदेशी हवाई हमले के खतरे को कम कर सके। चीन के इस कदम से साफ हो गया है कि वह ईरान के समर्थन में खुलकर मैदान में आ गया है। यह निश्चित रूप से अमेरिका और इजरायल के लिए एक गंभीर चुनौती है। ईरान का दावा है कि उसके पास पहले से ही रूस की एस-300 वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है, लेकिन यह इजरायली हवाई हमले को रोक पाने में नाकाम रही है। कहा जाता है कि चीन ने ईरान के साथ यह सौदा ईरानी तेल की आपूर्ति के बदले में किया है। उल्लेखनीय है कि चीन ईरान का लगभग 90 प्रतिशत तेल आयात करता है।

हजारों हिंदू युवतियों के धर्मांतरण के आरोपी मौलाना गिरफ्तार

हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी 65 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया है। इसके बाद जलालुद्दीन के बेटे महबूब और नसरीन के पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस इस पूरे गिरोह की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जांच कर रही है। कहा जाता है कि नवीन और उसकी पत्नी नीतू पहले हिंदू थे। मौलाना जलालुद्दीन के प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने धर्मांतरण का रैकेट चलाना शुरू कर दिया। यह गिरोह विदेशी धन के बल पर हिंदुओं और विशेष तौर पर हिंदू महिलाओं का इस्लाम में धर्मांतरण कराने लगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस गिरोह ने 1500 से अधिक युवतियों को मुसलमान बनाया है।

इंकलाब (9 जुलाई) के अनुसार जिला प्रशासन की टीम ने बलरामपुर जिले की उतरौला तहसील स्थित मधपुर गांव में जलालुद्दीन के आलीशान बंगले को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया है। कहा जाता है कि यह बंगला नसरीन के नाम पर था। पुलिस का दावा है कि इस बंगले से धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। इससे पहले जिला प्रशासन ने एक नोटिस जारी करके कहा था कि यह बंगला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है।

सहाफत (13 जुलाई) के अनुसार हिंदू परिवारों का धर्मांतरण, लव जिहाद व देश विरोधी गतिविधियों के आरोपी बलरामपुर के उतरौला के रहने वाले जलालुद्दीन की जांच का दायरा अब श्रावस्ती जिले तक भी फैल गया है। पुलिस ने श्रावस्ती की इकौना तहसील स्थित रहमान पुरवा गांव में एक मदरसा 'जामिया नूरिया फातिमा लिल बनात' पर छापा मारा। एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने इस मदरसे को सील कर दिया और इससे संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए। गांव वालों का कहना है कि इस मदरसे का निर्माण सैयद सिराजुद्दीन हाशमी ने 2019 में कराया था। हाशमी गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है। यह एक आवासीय बालिका मदरसा है। इस मदरसे में लगभग 300 छात्राओं के रहने और पढ़ने की

रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने जलालुद्दीन के कारनामों का पर्दाफाश किया था। उन्होंने दावा किया था कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का असली नाम करीमुल्ला शाह है और वह पिछले तीन-चार सालों से बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बा के मधपुर गांव में रह रहा था। जलालुद्दीन ने 2015 में मुंबई के एक सिंधी व्यापारी नवीन रोहरा, उसकी पत्नी नीतू रोहरा और उनकी बेटी समाले रोहरा का इस्लाम में धर्मांतरण कराया था। इसके गिरोह में शामिल लड़के नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी जांच में एक एडीएम दो सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। बताया जाता है कि ये सभी अधिकारी 2019-2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे हैं। इस बात का पता चला है कि इन अधिकारियों के जलालुद्दीन से घनिष्ठ संबंध थे। इनके सहयोग से जलालुद्दीन ने 2023 में नसरीन के नाम पर उतरौला में जमीन खरीदी थी। पुलिस का दावा है कि जलालुद्दीन और नसरीन पिछले 70 दिनों से लखनऊ के विकास नगर के एक होटल में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। छांगुर बाबा ने नसरीन की बेटी समाले की सगाई अपने नाती से कर दी थी। नसरीन ने दहेज के रूप में पांच करोड़ रुपये का शोरूम बनवाकर दिया था। यह शोरूम उतरौला के मनकापुर रोड़ पर स्थित है। धर्म परिवर्तन के बाद नीतू उर्फ नसरीन की बेटी समाले का नाम सबीहा रखा गया था। अगस्त में सबीहा और जलालुद्दीन के नाती का निकाह होने वाला था। इससे पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन पर शिकंजा कस दिया। जांच में यह भी पता चला है कि जब मुंबई में जलालुद्दीन की मुलाकात

व्यवस्था है। इस मदरसे को कोई सरकारी मान्यता नहीं मिली थी। हाशमी ने मदरसे के पास दो बीघा भूमि खरीदकर निर्माण कार्य शुरू कराया था। पुलिस ने मई महीने में इस मदरसे की जांच शुरू की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर 3 मई को इस मदरसे को सील कर दिया गया था। अब जलालुद्दीन मामले में हाशमी का नाम सामने आने के बाद इस मदरसे की जांच फिर से की जा रही है। बताया जाता है कि हाशमी का ससुराल उतरौला कस्बा में है और कुछ साल पहले उसका परिचय जलालुद्दीन से हुआ था। इसके बाद इन लोगों ने इस क्षेत्र में काफी अचल संपत्ति खरीदी थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। छापे के दौरान हाशमी के तीन बैंक खातों का पता चला है। इनमें से एक खाता बलरामपुर में है। जबकि दो खाते गुजरात में हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस मदरसे का पूरा रिकॉर्ड उर्दू में है, इसलिए पहले इसका अनुवाद कराया जाएगा। इसके बाद ही इस संबंध में जांच हो सकेगी।

तासीर (13 जुलाई) के अनुसार एटीएस जलालुद्दीन से विस्तृत पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में यह पता चला है कि पिछले दो सालों में विदेशी स्रोतों से जलालुद्दीन के गिरोह को 500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार जलालुद्दीन और नसरीन को सात दिनों की पुलिस

नवीन रोहरा परिवार से हुई थी तो उसकी नजर इनकी अरबों रुपये की संपत्ति पर थी। इस संपत्ति को हथियाने के लिए उसने रोहरा परिवार को अपने जाल में फंसाया और उन्हें मुसलमान बना दिया। बताया जाता है कि रोहरा परिवार की पुणे और मुंबई में अरबों रुपये की संपत्ति है।

जलालुद्दीन के गांव रेहरा माफी के निवासियों का कहना है कि शुरुआत में वह एक खेतिहर मजदूर था। इसके बाद वह मुंबई चला गया। कहा जाता है कि जलालुद्दीन मुंबई की हाजी अली दरगाह के बाहर भीख मांगा करता था। बाद में उसने स्वयं को पीर घोषित कर लिया और वह वापस बलरामपुर आकर राजनीति में सक्रिय हो गया। जलालुद्दीन दो बार रेहरा माफी गांव का प्रधान भी रहा। मुंबई से आने के बाद उसने गांव में काफी भूमि खरीदी और उस पर एक भव्य भवन का निर्माण कराया। उसके पास कई महंगी कारें भी हैं। गांव वालों का कहना है कि जलालुद्दीन बिल्कुल अनपढ़ है। उसके एक हाथ में छह उंगलियां हैं, इसलिए उसे छांगुर बाबा कहा जाता है। मुंबई से वापस आने के बाद उसने स्वयं को सूफी हजरत बाबा जलालुद्दीन घोषित कर लिया और अपने नाम पर कुछ पुस्तकें भी छपवाईं। ये पुस्तकें इस्लाम के प्रचार से जुड़ी हुई हैं।

2005 में जलालुद्दीन अपने गांव रेहरा माफी का प्रधान चुना गया। यहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली और वह एक अमीर व्यक्ति बन गया। 2015 में जलालुद्दीन की पत्नी कुतुबुन निशा ने ग्राम प्रधान का चुनाव जीता। मधपुर गांव के निवासियों का कहना है कि नीतू और नवीन ने चार साल पहले मुंबई से गांव आना शुरू किया था और उन्होंने मधपुर में चार बीघा जमीन खरीदकर एक आलीशान बंगले का निर्माण कराया। मधपुर गांव के प्रधान अमरनाथ वर्मा का कहना है कि हमें आश्चर्य है कि जलालुद्दीन अचानक भिखारी से करोड़पति कैसे बन गया? उन्होंने कहा कि जलालुद्दीन की मुंबई में भी काफी संपत्ति है। वहां पर उसने एक दरगाह भी बनाया है। पुलिस का दावा है कि जलालुद्दीन की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना उसे पिछले वर्ष मिली थी। तब जलालुद्दीन ने प्रलोभन देकर दो दर्जन लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण कराया था। इस संदर्भ में उसके खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होते ही जलालुद्दीन फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया। जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की गई। पुलिस का दावा है कि जलालुद्दीन ने प्रलोभन देकर गरीबों और विधवाओं का धर्मांतरण कराया है। उसने शादी के झूठे वायदों के जरिए लगभग डेढ़ हजार युवतियों का धर्मांतरण कराया। पुलिस का दावा है कि जलालुद्दीन ने जिन युवतियों का धर्मांतरण कराया उनमें से कई लापता हैं। संभवत: उन्हें अरब देशों में ले जाकर बेच दिया गया है। पुलिस इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रही है।

पुलिस का यह भी दावा है कि जलालुद्दीन ने जाति के आधार पर धर्मांतरण की राशि तय कर रखी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 15-16 लाख रुपये, पिछड़ी जातियों के लिए 10-12 लाख रुपये और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8-10 लाख रुपये दिए जाते थे। इस तरह से धर्मांतरण का एक संगठित कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस को

मिली जानकारी के अनुसार इस गिरोह ने लखनऊ की एक महिला गुंजा गुप्ता को एक मुसलमान अबू अंसारी के प्रेम जाल में फंसाया था। शुरुआत में अबू अंसारी ने अपना नाम अमित बताया था। अबू अंसारी गुंजा गुप्ता को जलालुद्दीन के पास ले गया। इसके बाद गुंजा गुप्ता का अबू अंसारी से निकाह कर दिया गया और उसका नाम अलीना अंसारी रखा गया। पुलिस का दावा है कि अवैध धर्मांतरण के इस गिरोह से जुड़े हुए लोग अब तक 50 बार मुस्लिम देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस गिरोह के विभिन्न बैंकों में 40 खाते हैं। कुछ बैंक खाते इस गिरोह के लोगों के नाम पर खोले गए हैं और कुछ खाते फर्जी संगठनों के नाम पर खोले गए हैं। पिछले पांच सालों में विदेशी स्रोतों से इन खातों में 500 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा हुई है। पुलिस को अब तक 100 करोड़ रुपये के सबूत मिल चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

तासीर (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि जब कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो उसकी जांच से पहले ही उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हाल ही में पुलिस की गिरफ्त में आए छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का मामला इसका जीता-जागता उदाहरण है। जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मीडिया में उसके बारे में तरह-तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें उसे आतंकवादी और विदेशी धन के बल पर धर्मांतरण कराने का दोषी करार दिया जा रहा है। हाल ही में बिना कोई नोटिस दिए उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया।

समाचारपत्र का कहना है कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर अवैध धर्मांतरण के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे इसी आरोप में गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी स्रोतों से छांगुर बाबा के बैंक खातों में भारी धनराशि आई है। इस धनराशि से उसने 200 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी थी। अदालत में ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन को धर्मांतरण का मास्टरमाइंड या इस्लामिक एजेंडे का भागीदार घोषित करना उचित नहीं है। इस तरह की रिपोर्टिंग से जनता में जो धारणा बनती है वह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की आड़ में जलालुद्दीन के घर को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर कार्रवाई पर अपने हालिया फैसले में साफ किया है कि अवैध निर्माणों को हटाने से पहले इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई राजनीतिक लाभ और बदले की भावना के तहत नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई निर्धारित कानून के तहत होनी चाहिए, न कि जनभावना या मीडिया के दबाव में। दुर्भाग्य से जलालुद्दीन के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उसे दोषी ठहराकर सजा दे दी गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का खुला उल्लंघन है।

समाचारपत्र ने कहा है कि मीडिया को निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत का अभियान चलाना चाहिए। जनता को इस संदर्भ में कोई भी राय बनाने से पहले अदालत के फैसला का इंतजार करना चाहिए।

इंकलाब (13 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलरामपुर से एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है। हम हर कीमत पर अवैध धर्मांतरण को रोक कर ही दम लेंगे। अवैध धर्मांतरण देश और समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को खंडित करने की साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमें यह जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश चल रही है ताकि राज्य के धार्मिक संतुलन को बदला जा सके। इसके लिए विदेशी स्रोतों से अरबों रुपये की धनराशि प्राप्त हो रही है। पुलिस अब तक 100 करोड़ रुपये का पता लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।

उर्दू टाइम्स (14 जुलाई) के अनुसार महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में कहा कि सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी जानकारी के अनुसार देश में अवैध धर्मांतरण के लिए अरब और पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में धनराशि आ रही है। इस धर्मांतरण को रोकना बेहद जरूरी है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद

सियासत (12 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद अपने पद छोड़ देने चाहिए ताकि उनका स्थान अन्य लोगों को मिल सके। उनका यह बयान राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का केंद्र बन गया है। विपक्षी नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भागवत ने अप्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। सबसे रोचक बात यह है कि स्वयं मोहन भागवत भी 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत ने हाल ही में नागपुर में संघ के एक विख्यात चिंतक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक किताब के विमोचन के अवसर पर कहा कि "जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको रूक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए।" उन्होंने 'मोरोपंत पिंगले : द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस' नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि "एक बार पिंगले जी ने कहा था कि 75 साल के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपको अब रूक जाना चाहिए, आपकी उम्र हो चुकी है, हट जाइये और दूसरों को आगे आने दीजिए।"

सहाफत (12 जुलाई) के अनुसार आरएसएस ने मोहन भागवत के 75 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्ति से संबंधित बयान की विधिवित व्याख्या की है। आरएसएस का कहना है कि "मोहन भागवत का यह बयान आरएसएस के चिंतक मोरोपंत पिंगले से संबंधित था। उसे वर्तमान हालात या किसी विशेष व्यक्ति के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) राजनीतिक लाभ के लिए मोहन भागवत के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही हैं। जब पिंगले को उनकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शॉल देकर सम्मानित किया गया था तो उन्होंने ये बातें कही थीं।" मोहन भागवत द्वारा पिंगले के बयान का उल्लेख करने के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्ष ने उनकी इस टिप्पणी की आड़ में नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है।

औरंगाबाद टाइम्स (11 जुलाई) के अनुसार शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब नरेन्द्र मोदी आरएसएस मुख्यालय गए थे तब मैंने अपने एक लेख में लिखा था कि मोदी और आरएसएस ने एक सिद्धांत बनाया है कि 75 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। राउत ने कहा कि मोदी ने इस सिद्धांत की आड़ लेकर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को जबरन राजनीति से हटा दिया। अब सितंबर महीने में स्वयं नरेन्द्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, सिर के बाल झड़ चुके हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं और सत्ता सुख भी भोग चुके हैं। शायद यही कारण है कि आरएसएस बार-बार मोदी को सेवानिवृत्ति की सलाह दे रहा है। राउत ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या करना चाहिए यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में किया है। अगर मोदी और अमित शाह के दिमाग में सेवानिवृत्ति के विचार आ रहे हैं तो यह निश्चित रूप से देश के लिए शुभ संकेत है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 जुलाई) ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर महीने में 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा में 75 साल के नेताओं को राजनीति से सेवानिवृत्त करने की जो परंपरा शुरू हुई है उसे देखते हुए मोहन भागवत का यह बयान

बेहद महत्त्वपूर्ण है। तरह-तरह के सर्वे में यह सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम सामने आ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री मोदी का आदर्श उत्तराधिकारी बताया है। उन्होंने मोदी को 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि गडकरी को देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि उन्हें देश के गरीबों की चिंता है। उन्होंने देश के विकास के लिए अच्छे काम किए हैं। बेलूर ने कहा कि भाजपा हाईकमान को इस संबंध में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बीएस येदियुरप्पा को 75 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। अब भाजपा हाईकमान को सरसंघचालक की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और मोदी को प्रधानमंत्री पद से मुक्त किया जाना चाहिए।

हिंदुस्तान (12 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के एक बयान ने देश के राजनीतिक क्षेत्रों में एक नई बहस छेड़ दी है। भागवत के बयान ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि, भागवत ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। हर अक्लमंद व्यक्ति यह समझ चुका है कि सरसंघचालक की इस टिप्पणी का क्या मतलब है। नागपुर में मोरोपंत पिंगले से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन करते हुए भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र में जब आपको शॉल पेश की जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब आप अपने पद से हट जाएं और किसी दूसरे को मौका दें। यह बयान जितना सीधा

नजर आता है उतना सीधा नहीं है। उनका यह इशारा किसी बम धमाके से कम नहीं है।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में 75 साल की बहस यूं ही नहीं छेड़ी है और न ही इसे बेवक्त की रागिनी ही कहा जा सकता है। भागवत पर यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश दिया है कि अब आप सेवानिवृत्त हो जाएं। अगर कोई उन पर यह आरोप लगाता है तो वे यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये बातें अपने लिए कहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं भी इस साल 75 वर्ष के हो जाएंगे। मोहन भागवत भले ही अपनी बात बदल लें, लेकिन हर कोई उनकी बात को बखूबी समझ चुका है। राजनीति में सेवानिवृत्ति की निर्धारित सीमा 75 साल कभी नहीं रही है। इसे तो आरएसएस और भाजपा ने ही शुरू किया है। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई तो लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के सबसे ताकतवर दावेदार थे, लेकिन संघ परिवार और भाजपा का एक विशेष गुट किसी भी कीमत पर आडवाणी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता था। संघ और भाजपा ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत नरेन्द्र मोदी को आगे बढ़ाया और उम्र की आड़ लेकर आडवाणी को हाशिए पर धकेल दिया गया। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी का चयन करते समय यह तर्क दिया गया कि आडवाणी की उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, इसलिए उन्हें अब आराम करना चाहिए और

नए व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। भाजपा ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और दावा किया कि यह सबसे सम्मानित पद है। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 63 साल थी। प्रधानमंत्री मोदी इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। अजीब संयोग है कि संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत उनसे छह दिन पहले ही 75 साल के हो जाएंगे। अब यह भी सवाल किया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं ने जो नियम दूसरों के लिए बनाए थे, क्या वे उस नियम को स्वयं पर भी लागू करेंगे?

समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत के बयान के बाद देश की राजनीति में हडकंप मच गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पिछले 11 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है। अब समय आ गया है कि देश को इन दोनों नेताओं से मुक्ति मिले। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में यह स्पष्ट किया था कि भाजपा के संविधान में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। अब उनसे यह सवाल जरूर किया जा सकता है कि अगर भाजपा के संविधान में राजनीति से संन्यास लेने की उम्र सीमा निर्धारित नहीं है तो फिर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को राजनीति से संन्यास लेने पर क्यों मजबूर किया गया?

सियासत (13 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही वे किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने देंगे। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ नरेन्द्र मोदी के कारण ही भाजपा का देश की राजनीति में उभार हुआ है। भाजपा को मोदी के कारण ही केंद्र और राज्यों में बार-बार सत्ता मिल रही है। हालांकि, संघ प्रमुख की टिप्पणी को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है।

रोजनामा सहारा (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत के बयान ने राजनीतिक क्षेत्रों में तूफान पैदा कर दिया है। हालांकि, अमित शाह का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। मोदी के जन्मदिन को 'राष्ट्रीय जश्न' के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इससे साफ है कि मोदी की शख्सियत सिद्धांतों पर हावी हो चुकी है। अब यह बात कोई ढकी-छिपी नहीं है कि मोदी के लंबे सत्ताकाल के दौरान भाजपा और आरएसएस के बीच तनाव पैदा हुआ है। आरएसएस से जुड़े कई लोग सत्ता में असंतुलन और गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं। ऐसा लगता है कि संघ अब नई पीढ़ी को सामने लाना चाहता है।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत शायद स्वयं ही सितंबर महीने के बाद अपना पद छोड़ दें। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी भी संगठन की नैतिकता का पालन करेंगे या वे वही रूख अपनाएंगे जो अपनी सत्ता की रक्षा के लिए हर सिद्धांत को पैरों तले रौंद डालता है? आज सवाल मोदी की शख्सियत से बढ़कर सिद्धांतों की रक्षा

का है। जिस व्यक्ति ने पार्टी में 75 वर्ष की आयु को सेवानिवृत्ति का आधार बनाया था अगर स्वयं वही इस सिद्धांत के लिए प्रश्न चिन्ह बन जाए तो सिद्धांत की पवित्रता पर धब्बा लगना स्वाभाविक है। दरअसल, भागवत का यह बयान इसी विकृति को आईना दिखाता है। संघ की ओर से जो इशारा आया है वह व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सैद्धांतिक है। मोदी चाहें या न चाहें, लेकिन यह सिद्धांत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब देखना यह है कि 17 सितंबर को मोदी क्या करते हैं? क्या वे उस सिद्धांत के आगे सिर झुकाएंगे, जो उनकी पार्टी की पहचान रही है?

कश्मीरी नेताओं द्वारा दंगाइयों को महिमामंडित करने का प्रयास

कश्मीरी नेताओं द्वारा 1931 में कश्मीर में हुए हिंदू विरोधी दंगों में पुलिस की गोलियों के शिकार होने वाले दंगाइयों को महिमामंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण देश में एक नया विवाद पैदा हो गया है।

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'शहीद दिवस' के अवसर पर श्रीनगर के नौहट्टा स्थित ऐतिहासिक कब्रिस्तान की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करने का आदेश दिया है। नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने 'शहीद दिवस' के मौके पर कश्मीरी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है और मजार-ए-शुहादा के आसपास भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात करके लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाचारपत्र के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस ने 'शहीदों' की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने इस मांग को रद्द कर दिया था। नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं ने प्रशासन के इस कदम का विरोध किया और कहा कि 13 जुलाई का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, बल्कि यह दिन कश्मीरी जनता द्वारा इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा है कि श्रीनगर में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और लोगों को अपने ही 'शहीदों' की कब्रों पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पीडीपी की अध्यक्ष व जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा

मजारों पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कड़ी सुरक्षा रूकावटों के बावजूद सभी विधायक मजार-ए-शुहादा तक पहुंचने में सफल रहे। सरकारी सूत्रों के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने कब्रिस्तान जाने के संबंध में पुलिस अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने इस कब्रिस्तान का दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए।

मुफ्ती ने भी प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपने 'शहीदों' की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोका जा रहा है और उनकी पार्टी के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गौरतलब है कि डोगरा शासकों के आदेश पर 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी। इस गोलीबारी में 22 लोग मारे गए थे। राज्य में डोगरा शासन के खत्म होने के बाद कश्मीर में इस दिन को सरकारी तौर पर 'शहीद दिवस' के रूप में मनाया जाता था। इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहता था। 2019 में धारा 370 के खात्मे के बाद इस दिन को अवकाश की सूची से हटा दिया गया। 'शहीद दिवस' के मौके पर इनकी कब्रों पर आधिकारिक तौर पर जाने वाली आखिरी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थीं। खास बात यह है कि कश्मीरी हिंदू 13 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1931 में इसी दिन मुसलमानों की उग्र भीड़ ने राज्य के कई स्थानों पर हिंदुओं की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर लूटा था और हिंदू महिलाओं का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी थी।

रोजनामा सहारा (15 जुलाई) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा घेरों को तोड़कर नौहट्टा में 'शहीदों' के

कौमी भारत (14 जुलाई) के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में हुआ कत्लेआम हमारे लिए जलियांवाला बाग नरसंहार जैसा है। जबकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को डोगरा शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे हीरो थे। वे हमारे लिए महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे थे। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आरोप लगाया है कि 'शहीदों' को श्रद्धांजलि अर्पित करने पर प्रतिबंध लगाना तानाशाही है। बुखारी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मेरी पार्टी के कार्यालय पर ताला लगा दिया था और मुझे मेरे घर में नजरबंद कर दिया था।

पृष्ठभूमिः कश्मीर में 1949 से लेकर 2019 तक 13 जुलाई को सरकारी तौर पर 'शहीद दिवस' मनाया जाता था। 2019 में धारा 370 के खात्मे के बाद इस दिन को सरकारी अवकाश की सूची से हटा दिया गया। कहा जाता है कि डोगरा सैनिकों ने 13 जुलाई 1931 को मुसलमानों की उग्र भीड़ पर गोलियां चलाई थीं। इस गोलीबारी में 22 लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने एक मजहबी अतिवादी अब्दुल कादिर को अपने रसोइये के रूप में पेशावर से कश्मीर बुलाया था। वह एक अच्छा वक्ता था।

अब्दुल कादिर ने 21 जून 1931 को कश्मीर के खानकाह-ए-मौला मस्जिद में मुसलमानों की एक भारी भीड़ को संबोधित करते हुए रियासत के शासक के खिलाफ सांप्रदायिक और उत्तेजक भाषण दिया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो मुसलमानों की उग्र भीड़ जबरन अदालत में घुस गई। इस पर सरकार ने अब्दुल कादिर के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की सुनवाई श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर करवाने की व्यवस्था की। जब कश्मीरी मुसलमानों की उत्तेजक भीड़ ने जेल में जबरन घुसने का प्रयास किया तो पुलिस व सेना के साथ उनकी झड़पें हुई। इस गोलीबारी में 22 लोग मारे गए। इस दौरान उग्र मुसलमानों की भीड़ ने शहर के कई स्थानों पर हिंदुओं के दुकानों व मकानों में लूटपाट की और कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार की भी घटनाएं हुई।

शेख अब्दुल्ला, मीरवाइज यूसुफ शाह और सरदार इब्राहिम खान जैसे नेताओं ने इस गोलीबारी में मारे जाने वाले लोगों के शवों का जुलूस निकाला और इन शवों को श्रीनगर की जामा मस्जिद परिसर में रखा गया। बाद में इन शवों को नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हिंदू नेताओं का दावा है कि वास्तव में यह हिंदू शासकों के खिलाफ एक इस्लामिक विद्रोह था। हिंदू नेताओं के अनुसार जब मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ को अलग-थलग करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ का एक हिस्सा व्यापारिक क्षेत्र महाराजगंज के हिंदू बहुल इलाकों में घुस गया और वहां लूटपाट की। बोहरी कदल से लेकर अली कदल तक के बहुत बड़े इलाके में हिंदुओं की दुकानों को लूटकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इसके अतिरिक्त श्रीनगर से 5-6 मील की दूरी पर स्थित विचारनाग में भी हिंदुओं पर हमले किए गए। यहां पर कई हिंदुओं की हत्या की गई और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। स्थिति इतनी खराब थी कि हिंदुओं को बचाने के लिए वहां पर सेना भेजनी पड़ी।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदू विरोधी यह दंगा सिर्फ श्रीनगर तक ही सीमित नहीं था। सुखचैनपुर और सामवाल (मीरपुर) में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं की संपत्तियों को लूटने के बाद उनके मकानों पर हमले किए और अनेक मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। कोटली के मुख्य बाजार, भीमबेर और मीरपुर में हिंदू मोहल्लों पर हमले किए गए। इन हमलों में कई हिंदू मारे गए। इस दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार की भी घटनाएं हुई। 18 जनवरी 1932 को मुसलमानों की उत्तेजक भीड़ ने 50 गांवों में हिंदुओं के घरों पर हमला किया। इस हमले में अनेक लोग मारे गए और 40 हिंदुओं व सिखों को जबरन मुसलमान बनाया गया। इस तरह की घटनाएं कश्मीर घाटी के अन्य स्थानों पर भी हुई। इन घटनाओं के बाद शेख अब्दुल्ला कश्मीरी मुसलमानों के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। इसके बाद मुस्लिम कांफ्रेंस (अब नेशनल कांफ्रेंस) के सोपोर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई कि कश्मीर में मुस्लिम शासन होना चाहिए।

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुस्लिम संगठनों के अनुरोध पर फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक केंद्र सरकार फिल्म की सामग्री में संशोधन से संबंधित फैसला नहीं ले लेती तब तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। अदालत ने यह फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से दायर की गई एक याचिका पर दिया है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि मुसलमानों को बदनाम करने और उनके खिलाफ माहौल बनाने के उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस फिल्म की जांच करे।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में याचिका दायर करने से पहले केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए था। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हम याचिकाकर्ताओं को दो दिन के अंदर केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। फिल्म के निर्माता को पुनरीक्षण की याचिका पर एक सप्ताह के अंदर जवाब देना होगा। इससे पहले सेंसर बोर्ड के वकील ने अदालत में कहा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के कुछ विवादित अंशों को पहले ही हटा दिया है।

मुस्लिम संगठनों का दावा है कि इस फिल्म में न केवल रसूल के खिलाफ टिप्पणी की गई है, बल्कि उनके परिवारजनों को भी निशाना बनाया गया है। जमीयत उलेमा की अपील पर इस फिल्म के खिलाफ देश के कई राज्यों की अदालतों में याचिकाएं दायर की गई हैं। फिल्म निर्माता के वकील ने अदालत में दावा किया था कि सेंसर बोर्ड के निर्देश पर इस फिल्म से आपत्तिजनक अंशों को हटाया जा चुका है, इसलिए इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जाए। वकील ने यह भी दावा किया था कि इस फिल्म को बनाने में भारी धनराशि खर्च की गई है और यह फिल्म अपराध जगत से संबंधित

है। इसमें किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है, इसलिए इस फिल्म के बारे में मत बनाने का अधिकार विशेषज्ञों को सौंपा जाए। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस फिल्म का लक्ष्य एक विशेष धर्म को निशाना बनाना है। यह फिल्म एक ऐसे विषय पर बनाई गई है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि इस्लाम के अनुयायियों का एक पड़ोसी देश के आतंकवादियों से गहरा संपर्क है।

रोजनामा सहारा (12 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में अब भी ऐसी सामग्री मौजूद है, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई आपत्तिजनक फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन हत्या की एक घटना की आड़ में इस फिल्म में एक पूरी कौम को अपराधियों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता मेरठ निवासी 44 वर्षीय अमित जानी का विवादों से पुराना नाता है। वे पहली बार जुलाई 2012 में चर्चा में आए थे। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया था। 2016 में अमित जानी को तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2017 में कुछ कश्मीरी छात्रों द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करने पर जानी ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर होर्डिंग्स लगाकर धमकी दी थी कि कश्मीरी छात्र उत्तराखंड छोड़कर चले जाएं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अक्टूबर 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानी को ताजमहल के गुंबद और मीनारों पर भगवा झंडे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद जानी के संगठन ने लखनऊ में 'योगी बनाम मोदी' के होर्डिंग्स लगाए थे। इस पर जानी पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

फरवरी 2019 में अमित जानी ने नोएडा स्थित अपने होटल पर लिखा था कि यहां पर कश्मीरियों को आने की अनुमति नहीं है। जानी ने 2017 में 'शिवपाल यादव यूथ ब्रिगेड' बनाई, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के नाम पर थी। शिवपाल यादव ने बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) बनाई और 2019 में जानी को इस पार्टी की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि नवंबर 2019 में जानी ने 'हिंदू एक्शन फोर्स' की स्थापना की थी। अमित जानी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 12 मुकदमे विचाराधीन हैं।

इंकलाब (16 जनवरी) के अनुसार कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई

है। यह याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के आरोपियों में से एक मोहम्मद जावेद ने दायर की है। उसने अपनी याचिका में यह तर्क दिया है कि इस फिल्म के रिलीज होने से उसके खिलाफ विचाराधीन मुकदमे पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। अदालत ने वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी के अनुरोध पर इस याचिका को इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ शामिल करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जमीयत उलेमा ने केंद्र सरकार को एक याचिका भेजकर मांग की है कि सेंसर बोर्ड द्वारा जारी इस फिल्म के प्रमाणपत्र को रद्द किया जाए, क्योंकि यह फिल्म सांप्रदायिक भावना भड़काती है और एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत का माहौल बनाती है। याचिका में कहा गया है कि अगर इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी गई तो देश की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है और इससे देश की पूरी दुनिया में बदनामी होगी।

फिल्म निर्माता का दावा है कि यह फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। गौरतलब है कि जून 2022 में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल तेली की निर्मम हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में इस्लाम के पैगंबर, उनके परिवारजनों और बहुपत्नी प्रथा के साथ-साथ इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद आदि के बारे में भी आपत्तिजनक जानकारी दी गई है।

हिंदुस्तान (12 जुलाई) ने अपने संपादकीय में केंद्र सरकार से मांग की है कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर प्रतिबंध लगाया जाए और सेंसर बोर्ड द्वारा जारी इस फिल्म के प्रमाणपत्र को रद्द किया जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम विरोधी फिल्मों की बाढ़ आ गई है। मुसलमानों को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। दुख की बात यह है कि ये मुस्लिम विरोधी फिल्में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बनाई जा रही हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने में वह विफल रही है, इसलिए उसके इशारे पर हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। मुसलमानों को ऐसी फिल्मों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार इस तरह की जहरीली फिल्में बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान को लागू करने के लिए अदालतें मौजूद हैं। हमें अपनी फरियाद इन अदालतों तक पहुंचानी चाहिए ताकि मुसलमानों को बदनाम करने का यह सिलसिला बंद हो।

उर्दू टाइम्स (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में सरकार से मांग की है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना भड़काने वाली फिल्मों पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों को बदनाम करने का जो सिलसिला 'द कश्मीर फाइल्स' से शुरू हुआ था वह लगातार जारी है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' का लक्ष्य इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाना है। इस फिल्म में रसूल और उनके परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई है। इससे मुसलमानों की न सिर्फ भावनाएं ही आहत हुई हैं, बल्कि यह भारत के सेक्युलर ढांचे पर खुला वार है। इस तरह की फिल्में इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि देश में एक विशेष धर्म के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा सके। यह पहला अवसर नहीं है जब फिल्मी स्क्रीन को इस्लाम विरोधी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स और 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा चुके हैं। अजीब बात है कि 'द कश्मीर फाइल्स' की आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की ज्वाला भड़काई गई। दुख की बात है कि सरकार, सत्तारूढ़ दल और खास कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मुस्लिम विरोधी फिल्म की जमकर प्रशंसा की थी। मोदी ने यह साबित कर दिया कि वे इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक विशेष धर्म के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर भाजपा शासित राज्य सरकारों ने इस फिल्म को कर मुक्त कर दिया था।

इसी तरह से फिल्म 'द केरल स्टोरी' की आड़ में मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाने और उन्हें आतंकवाद की ओर प्रेरित करने वाले गिरोह के रूप में पेश किया गया। अजीब बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया था। सच तो यह है कि ये फिल्में एक विशेष नजरिए से बनाई जा रही हैं ताकि देशवासियों को हर मुसलमान संदिग्ध, हर मदरसा आतंकवाद का अड्डा और हर दाढ़ी वाला आतंकवादी नजर आए।

अखबार-ए-मशरिक (7 जुलाई) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि सेंसर बोर्ड ने मुस्लिम विरोधी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को पास कर दिया है। 2022 में एक व्यक्ति कन्हैयालाल की हत्या को आधार बनाकर यह फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म झूठ का एक पुलिंदा ही नहीं, बल्कि नफरत के बारूद से भरा एक बम है। यह फिल्म देश की शांति-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को तबाह कर सकती है। इस फिल्म में पैगंबर-ए-इस्लाम और उनके परिवारजनों पर बेहद घटिया हमले किए गए हैं। यहां तक कि मुस्लिम उलेमा को किशोरों का अनैतिक शोषण करने वाला करार दिया गया है। समाचारपत्र ने मांग की है कि देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस फिल्म पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए।

इंकलाब (13 जुलाई) ने अपने संपादकीय में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अदालत का यह फैसला परंपरागत राय से हटकर है। इस फिल्म में ऐसे नफरती बयानों को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसके कारण देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। सवाल यह है कि तीन साल के बाद कन्हैयालाल हत्याकांड की आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में पेश करना क्या देश के हित में है? अगर यह फिल्म किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ नहीं है और सिर्फ एक अपराध की घटना पर आधारित है तो इसमें पैगंबर-ए-इस्लाम व उनके परिवारजनों के खिलाफ क्यों जहर उगला गया है? इसमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, दारुल उलूम देवबंद और दाढ़ी वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करने का क्या मतलब है? कपिल सिब्बल ने अदालत में बिल्कुल ठीक कहा है कि यह फिल्म सांप्रदायिक एकता और देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक पर मचा बवाल

कौमी भारत (12 जुलाई) के अनुसार महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 के विधानसभा से पारित होने से राज्य की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने इस विधेयक का सख्त विरोध किया है। उन्होंने इस विधेयक को अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला बताया है। इस विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से नक्सलियों और अन्य उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां बढ़ रही हैं उसे रोकने के लिए इस विधेयक को पारित करना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में इस विधेयक को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया था। विपक्ष के विरोध के बाद इसे संयुक्त प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया था।

इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नक्सल गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो उसकी जमानत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो उस पर बिना एफआईआर दर्ज किए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून के अनुसार सब इंस्पेक्टर या उससे उच्च पद का अधिकारी इसकी जांच करेगा। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अनुमति के बाद ही अदालत में दायर की जा सकती है। इस कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले किसी भी संगठन या उससे जुड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई

किए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत संगठनों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा सकते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के तहत दोषी को सात साल की जेल हो सकती है और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आतंकवाद को प्रोत्साहन देने, शांति व्यवस्था को भंग करने और उग्रवाद के लिए आर्थिक सहयोग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक जनता की आवाज को दबाने के लिए लाया गया है। अगर कोई कवि या पत्रकार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे देश दुश्मन करार देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी (शरद गुट) के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि इस विधेयक में यह उल्लेख नहीं है कि इसका इस्तेमाल नक्सलियों के खिलाफ किया जाएगा। इससे साफ है कि सरकार इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे काला कानून बताया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाएगा।

एतेमाद (13 जुलाई) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने अपने बहुमत के बल पर इस विधेयक को विधान परिषद से भी पास करा लिया है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार की नजर में भाजपा और मोदी की आलोचना करने वाला हर व्यक्ति देश का गद्दार है, इसलिए इस तरह के कानूनों द्वारा जनता के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल किसी भी विरोधी के खिलाफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत जिन संस्थानों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वे इसकी शिकायत परामर्शदाता बोर्ड में कर सकते हैं।

सहाफत (14 जुलाई) के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने आरोप लगाया है कि हिंदूवादी सरकार यह कानून मुसलमानों को कुचलने के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार यह दावा कर रही है कि इस विधेयक का उद्देश्य नक्सलवाद को खत्म करना है, लेकिन उसका असली निशाना मुसलमान हैं।

रूस द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता

उर्दू टाइम्स (5 जुलाई) के अनुसार रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता दे दी है। रूसी सरकार का यह फैसला विश्व की राजनीति में एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि हम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता देते हैं। हमें आशा है कि इस फैसले से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती मिलेगी। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी 'टीएएसएस' के अनुसार रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने मॉस्को में अफगानिस्तान के नवनियुक्त राजदूत मौलवी गुल हसन से मुलाकात की है। गुल हसन की ओर से पेश नियुक्ति पत्र को रूसी उप विदेश मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। टीएएसएस ने मॉस्को स्थित अफगान दूतावास की एक तस्वीर भी जारी की है, जिस पर तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है।

तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने रूस सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि रूस सरकार का यह फैसला दोनों देशों के इतिहास में एक नया मोड़ है। हमें आशा है कि दोनों देशों के संबंधों में और भी मजबूती आएगी। गौरतलब है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी रूस ने काबुल स्थित अपने दूतावास को खुला रखा था और वह तालिबान नेतृत्व के संपर्क में रहा।

अखबार-ए-मशरिक (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें कट्टर इस्लामी शरिया के अनुसार शासन चलाया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब भारत भी अफगानिस्तान में भारी पूंजी निवेश करने का प्रयास कर रहा है। अजीब बात है कि रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। अब अल्लाह ताला ने इस सुपर पावर को तालिबान की सरकार को मान्यता देने पर मजबूर कर दिया है। समाचारपत्र ने प्रसन्नता व्यक्त है कि विश्व के भारी दबाव के बावजूद तालिबान सरकार शरिया कानूनों को सख्ती से लागू कर रही है। उसने दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया है कि हम एक इस्लामी देश हैं, इसलिए हम हर कीमत पर शरिया को लागू करेंगे। हमें इस मामले में किसी भी विदेशी शक्ति का दबाव मंजूर नहीं है।

रोजनामा सहारा (6 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि रूस को छोड़कर किसी भी अन्य देश ने अभी तक तालिबान सरकार को

विधिवत मान्यता नहीं दी है। हालांकि, कई देश अफगानिस्तान के मामलों में रुचि ले रहे हैं। चीन अफगानिस्तान में विशेष रुचि ले रहा है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने राजदूतों को नियुक्त कर रखा है, लेकिन इन देशों ने अभी तक तालिबान सरकार को विधिवत मान्यता नहीं दी है। ऐसा लगता है कि अब चीन भी अफगानिस्तान को मान्यता देने में देरी नहीं करेगा, क्योंकि वह अफगानिस्तान में रूस की तुलना में ज्यादा सक्रिय है। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में जो कटुता आई है उसे दूर करने के लिए भी चीन प्रयत्नशील है। अगर चीन अफगान सरकार को मान्यता दे देता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत कई देश अफगानिस्तान को मान्यता दे सकते हैं। हैरानी की बात है कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

रोजनामा सहारा (9 जुलाई) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि रूस और अफगानिस्तान के संबंध काफी जटिल रहे हैं। सोवियत संघ 1979 से लेकर 1989 तक अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ता रहा। इस युद्ध में कम-से-कम 15 हजार सोवियत सैनिक मारे गए। अफगान मुजाहिदीन के दबाव के कारण 1989 में रूस को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर होना पड़ा। रूस द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने से यह साफ हो गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। उसका यह प्रयास होगा कि उसके सहयोगी देश अफगानिस्तान से दूर रहें। खास बात यह है कि 1990 में अफगानिस्तान में जो सरकार सत्तारूढ़ हुई थी उसे सिर्फ तीन देशों ने मान्यता दी थी। इनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे।

अमेरिका को प्रभावहीन बनाने के लिए चीन अफगानिस्तान के मामले में खास रुचि ले रहा है। उसका यह प्रयास है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाए ताकि अफगानिस्तान भारत के प्रभाव से मुक्त हो जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में दिन-प्रतिदिन कटुता आ रही है। अजीब बात है कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस भी अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहा है। यह जगजाहिर है कि आईएसआईएस को किस देश का समर्थन प्राप्त है।

इंकलाब (6 जुलाई) का कहना है कि रूस ने अफगानिस्तान को इसलिए मान्यता दी है ताकि वह अफगानिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका को अपना निशाना बना सके। पिछले दिनों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से लंबी बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करने पर मजबूर होना पड़ा तो पाकिस्तान अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। ऐसी स्थिति में रूस अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है।

ब्रिटेन में फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (6 जुलाई) के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चेम्बरलेन ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। चेम्बरलेन ने अपने फैसले में कहा है कि अगर इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया तो ब्रिटेन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को अपील न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन उसने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत की मुख्य न्यायाधीश बैरोनेस कैर के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि अगर गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाता है और वह अदालत में इस प्रतिबंध के समर्थन में सही तथ्य पेश करता है तो अदालत इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर ने 23 जून को फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में जारी सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि हाल ही में फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने एक सैन्य अड्डे पर हमला करके दो लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया था। इससे देश को 70 लाख पाउंड का नुकसान हुआ है। इस सरकारी आदेश के तहत अब फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप की सदस्यता लेने, उसका समर्थन करने या उसके पक्ष में जनमत जागृत करने पर 14 वर्ष तक की जेल हो सकती है। अब फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप उन 31 आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गया है, जिन्हें ब्रिटेन में आतंकवाद विरोधी कानून, 2000 के तहत प्रतिबंधित किया जा चुका है। इनमें हमास, अलकायदा और हिजबुल्लाह जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन शामिल हैं।

रोजनामा सहारा (14 जुलाई) के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में प्रदर्शन करने पर 140 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि यह इस्लामिक संगठन पिछले दो सप्ताह से देशव्यापी प्रदर्शनों का आयोजन कर रहा है। समाचारपत्र के अनुसार फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने 20 जून को रॉयल एयरफोर्स बेस में तोड़फोड़ की थी और दो सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाया था। इस संबंध में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर ने कहा है कि हमारे पास इसके ठोस प्रमाण हैं कि फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप के लोग इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर देश की शांति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

कजाकिस्तान में हिजाब पर पाबंदी

उर्दू टाइम्स (3 जुलाई) के अनुसार कजाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने एक फरमान पर हस्ताक्षर किए हैं। इस फरमान में कहा गया है कि देश के किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे व्यक्ति की पहचान जाहिर नहीं होती है। फरमान में यह भी कहा गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति को अरबी या इस्लामी लिबास पहनने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपना कौमी लिबास पहनना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कजाक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि कजाकिस्तान में 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। इससे पहले 2023 में देश के सभी स्कूलों में छात्राओं व शिक्षकों के हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस फैसले के विरोध में लगभग 250 छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया था।

गौरतलब है कि कजाकिस्तान के अतिरिक्त मध्य एशिया के अनेक मुस्लिम देशों में नकाब, हिजाब और बुर्का जैसे इस्लामी लिबास पहनने पर कानूनन प्रतिबंध है, क्योंकि ये देश अरबी संस्कृति के बजाय अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक अन्य मुस्लिम देश ताजिकिस्तान ने 2024 में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के लिए पांच साल की जेल का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस साल के प्रारंभ में किर्गिस्तान ने भी नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। उज्बेकिस्तान में भी बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध 2023 में लगाया गया था। 2019 में ट्यूनीशिया में हुए तीन आत्मघाती बम धमाकों के बाद नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह से मुस्लिम बहुल देश अल्जीरिया और मिस्र में भी हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन

उर्दू टाइम्स (14 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अपने संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इस आंदोलन के संचालन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर पीटीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता मलिक अहमद खान भाचर से मुलाकात की है। गौरतलब है कि हाल ही में सत्तारूढ़ दल ने पंजाब से निर्वाचित पीटीआई के 26 विधायकों को निलंबित कर दिया था। आंदोलन के संचालन के लिए पीटीआई के नेताओं ने लाहौर

के नजदीक स्थित रायविंड के एक फार्म हाउस को अपना मुख्यालय बनाया है।

गंडापुर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान को अपने चंगुल से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। वह अघोषित मार्शल लॉ के जरिए देश में शासन कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना ने इमरान खान को झूठे आरोपों में जेल में बंद कर रखा है। पंजाब पुलिस ने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए लाहौर के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर पीटीआई के 70 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।

गौरतलब है कि 16 जनवरी 2025 को पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई थी। इन दोनों पर 50 अरब पाकिस्तानी रुपये के हेराफेरी का आरोप है। इसके अतिरिक्त इन दोनों ने बुशरा बीबी के अल–कादिर ट्रस्ट के लिए अरबों रुपये की सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव में बेच दी थी। इस मामले में 9 मई 2023 को इमरान को गिरफ्तार किया गया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। दिसंबर 2023 में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने अल–कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान, उनकी बीबी और छह अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।

हिंदुस्तान (10 जुलाई) के अनुसार पीटीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने अदियाला जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात की और उनसे देशव्यापी आंदोलन के बारे में विचार–विमर्श किया। गौहर खान ने दावा किया कि इमरान खान के साथ जेल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और पिछले दो साल से उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया है। उन्हें बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जा रही है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (6 जुलाई) के अनुसार पीटीआई के प्रवक्ता नियाजुल्लाह खान नियाजी ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना पीटीआई को पाकिस्तान की राजनीति से खत्म करने की साजिश कर रही है। यही कारण है कि सेना के इशारे पर नाचने वाले चुनाव आयोग ने पीटीआई के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कौमी भारत (12 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई द्वारा शुरू किए जा रहे जनांदोलन को विफल बनाने के लिए देशव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में अब तक 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं को लाहौर पहुंचने से रोकने के लिए सेना ने सड़कों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।

बलूचिस्तान में नौ पंजाबी यात्रियों की हत्या

कौमी भारत (12 जुलाई) के अनुसार कुछ अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान से पंजाब जा रही बस को रोका और उसमें सवार यात्रियों के पहचान पत्र देखे। इसके बाद हमलावरों ने 11 पंजाबी यात्रियों को बस से उतारकर उन्हें गोली मार दी। इनमें से नौ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो यात्रियों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना एन-70 हाईवे पर तब हुई जब यह बस लोरालाई से लाहौर जा रही थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने अवामी नेशनल पार्टी के नेता मौलाना खानजेब और उनके एक सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी है। अभी तक किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है।

कौमी भारत (14 जुलाई) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) के प्रवक्ता मीर बलूच ने दावा किया है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से मुक्त करने के लिए पूरे प्रांत में नया सैन्य अभियान शुरू किया गया है। इसमें बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन गार्ड हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य पाकिस्तानी सेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने यह दावा किया कि इस वर्ष अब तक इन संगठनों की ओर से पाकिस्तानी सेना पर 84 हमले किए गए। इन हमलों में 80 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मरने वालों में एक दर्जन अधिकारी भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग के 24 अधिकारियों की भी हत्या की गई है।

एक अन्य समाचार के अनुसार पिछले एक महीने में पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में 12 स्थानों पर ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार ये हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की ओर से किए गए थे। इन हमलों में 25 पुलिसकर्मी मारे गए, जिनमें नवागई के सहायक आयुक्त फैसल सुल्तान भी शामिल थे। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी विदेशी ताकतों के सहयोग से सेना पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (6 जुलाई) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग में तहसील कार्यालय और तीन बैंकों पर हमला करके छह लोगों की हत्या कर दी है। एक अन्य हमले में बीएलए के लड़ाकों ने अमाच क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हमला किया और एक दर्जन पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में बीएलए के दो लड़ाके भी मारे गए।

हिंदुस्तान (6 जुलाई) के अनुसार कराची पुलिस ने बलूच यकजेहती समिति के कार्यालय पर छापा मारकर अनेक बलूचों को हिरासत में ले लिया है। इस संगठन द्वारा पंजगुर में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक दर्जन बलूच कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस ने जिन बलूच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है उनमें अमना बलूच और सोहेल इरफान आदि शामिल हैं।

चट्टान (8 जुलाई) के अनुसार बीएलए ने बलूचिस्तान के जमुरान में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा करके उसमें रखा हुआ हथियार लूट लिया और 14 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया। बीएलए के मीडिया सचिव ने दावा किया है कि बीएलए ने इस साल अब तक 284 हमले किए हैं, जिनमें 668 पाकिस्तानी सैनिक और 58 मुखबिर मारे गए हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 131 वाहन भी तबाह हुए हैं। ■

यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा टली

रोजनामा सहारा (16 जुलाई) के अनुसार हत्या के आरोप में यमन की राजधानी साना की जेल में बंद केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा टाल दी गई है। साना हूतियों के नियंत्रण में है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि यमन सरकार ने यह फैसला भारत सरकार और केरल के प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबूबकर अहमद मुसलियार के अनुरोध पर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निमिषा प्रिया के मामले में केरल के मुफ्ती अबू बकर अहमद ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस संदर्भ में यमन के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं से बातचीत की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृतक तलाल अब्दो महदी के परिवारजनों से भी बातचीत की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत सरकार ने यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों की सरकार को मान्यता नहीं दी है।

गौरतलब है कि यमन पिछले दो दशक से गृहयुद्ध का शिकार है। इस समय वहां पर दो सरकारें चल रही हैं। दक्षिणी यमन में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, जिसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। इस सरकार को संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दे रखी है। जबकि हूतियों की सरकार ने यमन के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हूतियों के तार ईरान की शिया सरकार से जुड़े हुए हैं।

केरल की रहने वाली 38 वर्षीय निमिषा प्रिया को एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी उसकी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। कहा जाता है कि अगर 'ब्लड मनी' के तौर पर मृतक के परिवार को साढ़े आठ करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाए तो निमिषा को माफी दी जा सकती है। हालांकि, इसमें कठिनाई यह है कि निमिषा की मां के पास इतनी धनराशि नहीं है कि वे 'ब्लड मनी' का भुगतान कर सकें।

रोजनामा सहारा (11 जुलाई) के अनुसार निमिषा की मां और 'सेव निमिषा प्रिया एक्शन

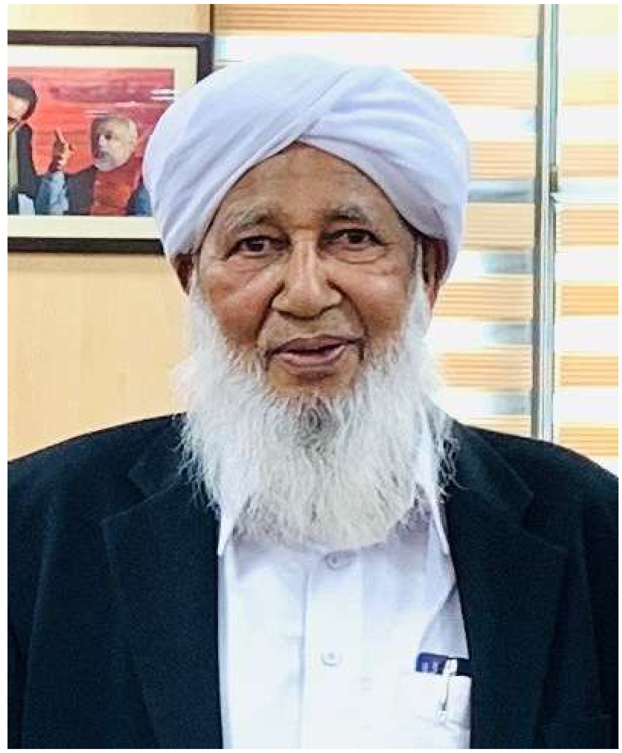

काउंसिल' की ओर से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील की गई थी कि अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह निमिषा की जान बचाने का प्रयास करे। इस याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा था कि इस नर्स को यमन में मौत की सजा क्यों दी गई है? इस पर वकील ने बताया कि यह महिला वहां नौकरी के लिए गई थी। एक स्थानीय व्यक्ति तलाल अब्दो महदी ने उसको बंधक बनाकर रखा था। उसने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। निमिषा ने महदी से अपना पासपोर्ट लेने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। इस इंजेक्शन के कारण महदी की मौत हो गई।

इंकलाब (16 जुलाई) के अनुसार भारत सरकार मृतक के परिवारजनों से बातचीत कर रही है ताकि इस नर्स की जान बचाई जा सके। इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि वह इस नर्स की जान बचाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास सीमित कूटनीतिक विकल्प है। समाचारपत्र का कहना है कि हूतियों की सरकार से भारत का राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए वह सऊदी अरब सरकार के माध्यम से इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। समाचारपत्र के अनुसार इस मामले में भारत के प्रमुख सुन्नी मुस्लिम नेता और केरल के ग्रांड मुफ्ती 94 वर्षीय शेख अबू बकर अहमद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इंकलाब के प्रतिनिधि को बताया कि केरल के एक विधायक चांडी ओमन के अनुरोध पर वे सक्रिय हुए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान हबीब उमर बिन हफीज के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। यमनी मुसलमानों में हफीज का अच्छा-खासा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि हफीज के अनुरोध पर उत्तरी यमन में हूती हाईकमान की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में साना स्थित आपराधिक न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश और मृतक महदी के भाई ने भी भाग लिया था। इसके बाद यमन सरकार ने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि यमन की विशेष आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश रिजवान अहमद अल-वजरी ने अपने विशेष आदेश में सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस महिला की मौत की सजा को स्थगित कर दे। मुसलियार ने कहा कि इस संदर्भ में मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यालय को विधिवत सूचना दे दी है।

पृष्ठभूमिः इस्लामिक विद्वानों के अनुसार कुरान और शरिया में यह व्यवस्था है कि अगर कोई हत्यारा या उसका परिवार मृतक को 'दीया' (ब्लड मनी) दे देता है तो हत्यारे की जान बख्शी जा सकती है। विश्व के 57 मुस्लिम देशों में से 50 में शरिया कानून लागू है, इसलिए इन देशों में 'ब्लड मनी' देकर हत्यारे को मौत की सजा से

बचाया जा सकता है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद में बताया था कि दुनिया के आठ देशों में कुल 49 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा 25 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है।

निमिषा प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने निमिषा की अपील खारिज कर दी। जनवरी 2024 में हूती विद्रोहियों की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद ने निमिषा की मौत की सजा को मंजूरी दे दी।

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में उत्तर प्रदेश की रहने वाली शहजादी खान को एक बच्चे की हत्या करने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात में केरल के दो निवासियों को भी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। इसी महीने इंडोनेशिया में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। 2023 में कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप था। बाद में भारत सरकार के हस्तक्षेप पर इन्हें रिहा कर दिया गया।

तुर्की में पैगंबर–ए–इस्लाम का कार्टून प्रकाशित होने पर हंगामा

उर्दू टाइम्स (2 जुलाई) के अनुसार तुर्की के इस्तांबुल में पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़पें हुईं। पुलिस ने उग्र भीड़ को अलग-थलग करने के लिए गोलियां चलाईं और लाठी चार्ज किया। इस झड़प के पीछे का कारण यह है कि तुर्की की 'लेमैन' पत्रिका में पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून प्रकाशित किया गया था। हंगामे को देखते हुए तुर्की सरकार ने पत्रिका के प्रधान संपादक, ग्राफिक डिजाइनर, कंपनी के निदेशक और कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कार्टून को 'बेशर्मी' करार दिया है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मुसलमानों की आस्था का मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उग्र भीड़ ने पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया और उस पर पथराव करने के बाद उसमें आग लगा दी।

इस हमले के कारण 2015 में फ्रांसीसी पत्रिका 'चार्ली हेब्दो' में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित होने के बाद हुए हंगामे की याद ताजा हो गई है। तब बंदूकधारियों ने 'चार्ली हेब्दो' के कार्यालय पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी थी। तुर्की की पत्रिका ने इस कार्टून के प्रकाशन पर सफाई देते हुए कहा है कि यह कार्टून पैगंबर मोहम्मद का नहीं है, बल्कि इजरायली हमले में मारे गए एक मुस्लिम व्यक्ति का है।

तुर्की सरकार के अनेक मंत्रियों ने यह मांग की है कि कार्टून बनाने वालों को तुर्की की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए और उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए। तुर्की संसद के अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमुस ने कहा है कि यह कार्टून हमारी आस्था और इस्लाम पर एक घटिया हमला है। जबकि लेमैन पत्रिका के प्रबंधकों का कहना है कि दुनिया में 20 करोड़ लोगों का नाम मोहम्मद पर है और इस कार्टून का पैगंबर मोहम्मद से कोई संबंध नहीं है। हमारा इरादा पैंगबर-ए-इस्लाम की तौहीन का नहीं था। पत्रिका के प्रधान संपादक ने कहा है कि उनके विरोधियों ने इस मामले को जानबूझकर उछाला है।

उल्लेखनीय है कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद का चित्र या खाका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है और इसे पैगंबर-ए-इस्लाम की तौहीन माना जाता है। सूरा अल-अंबिया में मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए हजरत इब्राहिम ने कहा है कि "वे कौन सी मूर्तियां हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो और जिनसे कृपा दृष्टि की मांग करते हो। यह बिल्कुल 'कुफ्र' है।" शरिया में स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी धार्मिक शख्सियत विशेष रूप से पैगंबर या उनके परिवार का चित्र बनाना पैगंबर-ए-इस्लाम की तौहीन है। इस्लाम में मूर्ति पूजा को 'शिर्क' माना जाता है और जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है वह इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना अपराध है और इसकी सजा मौत है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 जुलाई) के अनुसार तुर्की पुलिस ने इस्तांबुल में विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा देश में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। पुलिस प्रमुख ने बताया कि देश में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ये गिरफ्तारियां इसी सिलसिले में की गई हैं।

तुर्की में कुर्द विद्रोहियों द्वारा सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने की घोषणा

एतेमाद (13 जुलाई) के अनुसार तुर्की की जेल में बंद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के प्रमुख अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की है। पीकेके पिछले 40 सालों से तुर्की सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। ओकलान की इस घोषणा के बाद इराक में सक्रिय पीकेके के 30 विद्रोहियों ने अपने हथियार जला डाले। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसे तुर्की के इतिहास का स्वर्ण अवसर करार दिया है।

गौरतलब है कि अब्दुल्ला ओकलान ने आजाद कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए 1978 में पीकेके का गठन किया था। 1984 में पीकेके ने तुर्की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस संघर्ष में अब तक 40 हजार लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और

जापान ने पीकेके को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तुर्की की सेना ने 1999 में ओकलान को गिरफ्तार कर लिया था। तब से उन्हें तुर्की के एक द्वीप में बंदी बनाकर रखा गया है। हालांकि, पिछले 25 सालों से वे तुर्की की जेल में हैं, लेकिन कुर्दों पर उनका वर्चस्व आज भी बरकरार है। पीकेके इराक, सीरिया और तुर्की के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है। तुर्की सरकार ने 2015 में कुर्दों के साथ समझौता वार्ता शुरू की थी। हालांकि, यह वार्ता विफल रही, क्योंकि कुर्द अपनी मांग पर डटे हुए थे। वे तुर्की, सीरिया और इराक के कुर्द इलाकों को मिलाकर एक आजाद कुर्दिस्तान की स्थापना करना चाहते थे। अरब देशों के नेताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद फरवरी 2025 में ओकलान ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर दें। मार्च 2025 में कुर्द विद्रोहियों ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। उन्होंने दावा किया था कि वे अपनी ऐतिहासिक भूमिका में सफल रहे हैं।

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अंकारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दर्दनाक और आंसुओं से भरा हुआ अध्याय समाप्त हो गया है। अब एक विराट और शक्तिशाली तुर्की के निर्माण के दरवाजे खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुर्दों की मांग पर विचार करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि यह उनकी सरकार की नहीं, बल्कि पूरी तुर्क कौम की जीत है। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की जीत गया, मेरी कौम जीत गई।

सऊदी अरब की जनसंख्या में बढ़ोतरी

सहाफत (12 जुलाई) के अनुसार सऊदी सरकार ने देश की जनसंख्या के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की जनसंख्या तीन करोड़ 53 लाख तक पहुंच गई है। इनमें 55 प्रतिशत सऊदी नागरिक हैं। जबकि 45 प्रतिशत विदेशी मूल के लोग हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागदारी 62 प्रतिशत है। जबकि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 38 प्रतिशत है। देश की कुल जनसंख्या में से तीन प्रतिशत लोगों की उम्र 65 वर्ष से अधिक है। देश के विकास की गति को तेज करने के लिए सऊदी सरकार ने फैसला किया है कि अगले वर्ष तक विदेशी नागरिक भी सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकेंगे। अब तक किसी भी विदेशी मूल के व्यक्ति को सऊदी अरब में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। सऊदी गजट के अनुसार सरकार ने यह फैसला रियल एस्टेट के विस्तार और पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। अब विदेशी नागरिक सऊदी अरब में पूंजी निवेश भी कर सकेंगे, लेकिन उन्हें मक्का और मदीना में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं होगी।

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सऊदी सरकार ने यह फैसला विजन 2030 के तहत किया है। इस विजन के तहत सऊदी अरब सरकार

तेल से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहना चाहती है और देश के विकास के लिए उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि सऊदी सरकार ने विदेशियों को आकर्षित करने के लिए उदारवादी नीति अपनाई है। देश के इतिहास में पहली बार शराब की बिक्री के लिए सरकारी दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो विदेशी कंपनियां सऊदी अरब में अपना मुख्यालय स्थापित करेंगी उन्हें 30 सालों तक आय कर नहीं देना होगा। यह फैसला सऊदी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त सऊदी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि हज और उमरा के लिए विश्वभर के मुसलमानों को आकर्षित करने की नीति अपनाई जाए, क्योंकि इन दोनों से सरकार को मोटी आय होती है।

चीन द्वारा ईरान को वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति

उर्दू टाइम्स (9 जुलाई) के अनुसार पिछले महीने इजरायल और ईरान के बीच हुए युद्ध के दौरान ईरान ने इजरायली नगरों पर मिसाइल दागकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन ईरान अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों को रोकने में विफल रहा। अब ईरान को चीन से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैट्रियां मिली हैं। इस प्रणाली द्वारा ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को विफल बनाया जा सकता है। बताया जाता है कि चीन ने ईरान के साथ यह सौदा ईरान से तेल की आपूर्ति के बदले में किया है। बताया जाता है कि ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैट्रियों की आपूर्ति 24 जून को हुई है। चीन इससे पहले पाकिस्तान को भी एचक्यू-9 और एचक्यू-16 वायु रक्षा प्रणालियां दे चुका है। कहा जाता है कि चीन मिस्र को भी एचक्यू-9 वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध करा चुका है।

एक अरब अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के अरब सहयोगियों को चीन और ईरान

के बीच हुए समझौते की जानकारी थी और इसकी सूचना व्हाइट हाउस को भी दी गई थी। गौरतलब है कि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। चीन ईरान का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ईरान का दावा है कि उसके पास रूस की एस-300 वायु रक्षा प्रणाली है। हालांकि, यह प्रणाली इजरायली हमलों को रोकने में नाकाम रही है।

इंकलाब (9 जुलाई) के अनुसार ईरान ने इजरायल के संभावित हमले का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में ईरानी सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर नए हमले की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले सप्ताह फिर से ईरान के साथ वार्ता शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे उचित समय पर ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा चुका है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ फिर से वार्ता करने के लिए तैयार है। हालांकि, इससे पहले दोनों देशों के बीच विश्वास कायम होना चाहिए, क्योंकि अब हम इजरायल व अमेरिका के वायदों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर अमेरिका इस भरोसे को बहाल करता है तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में फिर से वार्ता शुरू कर सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा है कि अगर इजरायल और अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा संभावित हमला पहले से भी ज्यादा घातक होगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

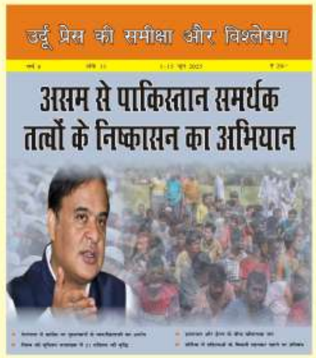

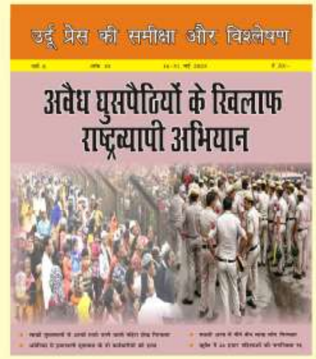

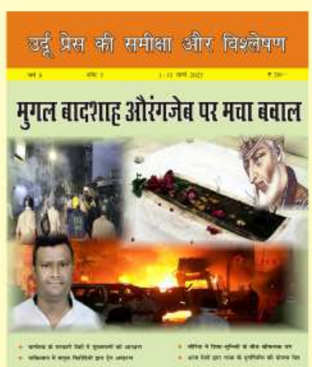

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in